विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या - 03/2022

पंडित कृण्ण दत्य मुनिया देवी शिक्षा प्रसार समित (प्रो.) राम शरण तिवारी, पता – निराला नगर, शिवली, कानपुर देहात

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.) झींझक, कानपुर देहात।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

पंडित कृण्ण दत्य मुनिया देवी शिक्षा प्रसार समित (प्रो.) राम शरण तिवारी, पता – निराला नगर, शिवली, कानपुर देहात के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश पाण्डेय द्वारा परिवाद इस आशय से दाखिल किया गया है कि विपक्षी को शिक्षण सस्थान में विधा 20B के अनुसार संशोधित बिल ब्याज रहित निर्गत करने का आदेश प्रदान किया जावे।

परिवादी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परिवाद (का.सं. 1/1 ता 1/2 एवं संलग्नक का.सं. 1/3 ता 1/9) दाखिल कर धारा 1 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के शिक्षण सस्थान में 10 KW का संयोजन वास्ते विपक्षी के कार्यालय में मय वाछित प्रपत्र कर शिक्षण सस्थान निर्माण उपरान्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी ने संयोजन प्रपत्र व परिसर की जांच कर स्वीकृत किया गया तथा संयोजन शुल्क जमा उपरान्त दिनांक 05.07.2016 को मीटर लगाकर लाइन चालू की गयी। धारा 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि मीटर लगाने के बाद भी विपक्षी ने मासिक बिल प्रतिमाह रीडिंग से नहीं दिये न ही परिसर की जांच की गयी। 2016 से कनेक्शन 2019 तक पूर्ववतः चलता रहा। वकाया पर विना प्रमाण, विना नोटिस दिये विच्छेदन कर दिया गया तब से वर्तमान तक विच्छेदित है। धारा 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रथम बिल 17 माह का 12/2021 तक का रीडिंग 2421 KWA प्राप्त हुआ बकाया धनराशि रु.13,02,474/- बिल था। 2019 में विच्छेदित संयोजन पर IDF के बिल जारी किये जा रहे थे। बिल प्राप्त होने के बाद जब प्रार्थी ने विधा का अवलोकन किया तब ज्ञात हुआ जो टैरिफ 9B से बिल बनाया गया है यह टैरिफ 2/20 होना चाहिए था प्रार्थी समझ गया कि टैरीफ गलत के कारण बिल बकाया अधिक हो गयी।

आगे जारी है।

धारा 4 में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2021 व 25.11.2021 को विभाग में वस्तु स्थिती से अवगत कराते हुये प्रार्थना पत्र दिया परन्तु विभाग ने बिल संशोधन सम्बंधी कोई कार्यवाही नहीं की तब विवाद का कारण उत्पन्न हुआ। धारा 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी अपने जवाब के साथ आवेदन पत्र की पूर्ण प्रति, जेई द्वारा संयोजन की जांच प्रपत्र, निर्माण उपरान्त संयोजन लिया गया तब विधा 9B क्यों किस नियम के अर्न्तगत का साक्ष्य, बिना प्रमाण विच्छेदन, बिना नोटिस विच्छेदन का कारण, समक्ष फोरम प्रस्तुत कर न्यायिक कार्य में सहयोग प्रदान करे। प्रार्थी का संयोजन चालू कर दे। आदेश उपरान्त बिल जमा कर दिया जायेगा। धारा 6 में यह अभिलिखित किया गया है कि विधा 9B में संयोजन मकान निर्माण में अस्थाई संयोजन के रूप में अवधि 03.06.2012 माह अथवा अधिक दिया जाता है समय अवधि बढ़वाने वास्ते उपभोक्ता प्रार्थना पत्र देता है प्रार्थना पत्र की अवधि की अवधि के अनुसार बढ़ाया जाता है अवधि पूर्ण पर संयोजन की विधा बदल कर अग्रिम बिलिंग की जाती है उक्त कथन असत्य हो तो विपक्षी प्रमाण प्रस्तुत करे। तथा अवधि बढाने का प्रार्थना पत्र दिया हो तो प्रमाण स्वरूप समक्ष फोरम प्रस्तुत करे। धारा 7 में यह अभिलिखित किया गया है कि विधा गलत हो तो प्रार्थी का बिल 20B विधा से संशोधित कर विवरण सहित प्रस्तुत करे। 2019 से प्रार्थी जनरेटर से शिक्षण संस्थान में विद्युत प्रयोग कर रहा है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश पाण्डेय को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी के शिक्षण सस्थान में 10 KW का संयोजन वास्ते विपक्षी के कार्यालय में मय वाछित प्रपत्र कर शिक्षण सस्थान निर्माण उपरान्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी ने संयोजन प्रपत्र व परिसर की जांच कर स्वीकृत किया गया तथा संयोजन शुल्क जमा उपरान्त दिनांक 05.07.2016 को मीटर लगाकर लाइन चालू की गयी। मीटर लगाने के बाद भी विपक्षी ने मासिक बिल प्रतिमाह रीडिंग से नहीं दिये न ही परिसर की जांच की गयी। 2016 से कनेक्शन 2019 तक पूर्ववतः चलता रहा। वकाया पर विना प्रमाण, विना नोटिस दिये विच्छेदन कर दिया गया तब से वर्तमान तक विच्छेदित है। प्रथम बिल 17 माह का 12/2021 तक का रीडिंग 2421 KWA प्राप्त हुआ बकाया धनराशि रु.13,02,474/- बिल था। 2019 में विच्छेदित संयोजन पर IDF के बिल जारी किये जा रहे थे। बिल प्राप्त होने के बाद जब प्रार्थी ने विधा का अवलोकन किया तब ज्ञात हुआ जो टैरिफ 9B से बिल बनाया गया है यह टैरिफ 2/20 होना चाहिए था प्रार्थी समझ गया कि टैरीफ गलत के कारण बिल बकाया अधिक हो गयी।

आगे जारी है।

परिवादी ने दिनांक 10.11.2021 व 25.11.2021 को विभाग में वस्तु स्थिती से अवगत कराते हुये प्रार्थना पत्र दिया परन्तु विभाग ने बिल संशोधन सम्बंधी कोई कार्यवाही नहीं की तब विवाद का कारण उत्पन्न हुआ। विधा 9B में संयोजन मकान निर्माण में अस्थाई संयोजन के रूप में अवधि 03.06.2012 माह अथवा अधिक दिया जाता है समय अवधि बढ़वाने वास्ते उपभोक्ता प्रार्थना पत्र देता है प्रार्थना पत्र की अवधि की अवधि के अनुसार बढ़ाया जाता है अवधि पूर्ण पर संयोजन की विधा बदल कर अग्रिम बिलिंग की जाती है उक्त कथन असत्य हो तो विपक्षी प्रमाण प्रस्तुत करे। तथा अवधि बढाने का प्रार्थना पत्र दिया हो तो प्रमाण स्वरूप समक्ष फोरम प्रस्तुत करे। 2019 से प्रार्थी जनरेटर से शिक्षण संस्थान में विद्युत प्रयोग कर रहै है।

उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड झींझक, कानपुर देहात अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 2600/वि.वि.ख.झीं.का.दे./ दिनांक 12.10.2022 द्वारा अवगत काराया गया है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त परिवाद इस फोरम के साथ माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका संख्या 16201/2022 एवं रिट याचिका संख्या 3578/2021 में दाखिल की गयी है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है इस लिये उपरोक्त के दृष्टिगत परिवाद संख्या 03/2022 को इस फोरम के विचाराधीन नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

पंडित कृण्ण दत्य मुनिया देवी शिक्षा प्रसार समित (प्रो.) राम शरण तिवारी, पता – निराला नगर, शिवली, कानपुर देहात का परिवाद इस फोरम में पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

30/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

30/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति